(राजस्थान–सरकार)

<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)</u>

<u>पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)</u>

प्रकरण संख्या :– 27/2024

पंजीकरण सं. :– 2024/70

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री किशन गोपाल गौत्तम पुत्र श्री ओमप्रकाश गौत्तम उम्र 42 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी प्लाट नं0 37 ए गणेश नगर कोटा मार्ग बारॉ जिला बारॉ राज0 (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– ओम किराना स्टोर, कोटा रोड बारॉ जिला बारॉ।
2. मैसर्स– ओम किराना स्टोर, कोटा रोड बारॉ जिला बारॉ।
3. श्री सुमन सोनी पुत्र श्री जितेन्द्र कुमार सोनी निवासी शिक्षक विहार शिव कॉलोनी बारॉ (मालिक) मैसर्स–मिहिर एजेन्सी, कृष्णा कॉलोनी बारॉ
4. मैसर्स–मिहिर एजेन्सी, कृष्णा कॉलोनी बारॉ
5. मैसर्स– गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट, प्लाट नं0 67 किरण कुंज नियर अनोखा गोअन होटल सीकर रोड माचेदा जयपुर (राज.)

(अप्रार्थीगण)

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011</u>

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री घनश्याम अग्रवाल अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1 ता 4)

3– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 5)

<u>निर्णय दिनांक 23.08.2024</u>

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नीरज कुमार नागर दिनांक 13.02.2023 को मैसर्स–ओम किराना स्टोर, कोटा रोड बारॉ जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री किशन गोपाल पुत्र श्री ओम प्रकाश गौत्तम (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.02.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **देशी घी (मधुर रतन) मूल गत्ते पैक** 500–500 ग्राम के 15 लीटर मूल ग[illegible] में [illegible] को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिच[illegible] विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **देशी घी (मधुर रतन) मूल गत्ते पैक** में मिलावट [illegible] हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना [illegible] नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:20:53 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **देशी घी (मधुर रतन) मूल गत्ते पैक** 500–500 ग्राम के 04 मूल पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री किशन गोपाल गौत्तम पुत्र श्री ओम प्रकाश गौत्तम (विक्रेता एवं मालिक) को 1000/– रूपये (अक्षरे एक हजार रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **देशी घी (मधुर रतन) मूल गत्ते पैक** 500 ग्राम के 04 पैकिट के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1688 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1688 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री किशन गोपाल गौत्तम पुत्र श्री ओम प्रकाश गौत्तम (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/104 दिनांक 13.03.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 159/PHL/kota/Act/2023/159 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **देशी घी (मधुर रतन) मूल गत्ते पैक** 500 ग्राम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 08.04.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई है। प्रकरण मे अप्रार्थी क्रम 05 की ओर से श्री मोहम्मद सोयब द्वारा मय ऑथोराईजेशन लेटर के उपस्थित होकर दिनांक 28.05.2024 को एवं दिनांक 02.07.2024 को उपस्थिति दी गई, इसके पश्चात स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे है। उनके दूरभाष पर वार्ता करने के उपरांत भी कम्पनी की ओर से कोई प्रतिनिधी उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **देशी घी (मधुर रतन) मूल गत्ते पैक** 500 ग्राम को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी क्रम 01 ता 04 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के संपूर्ण तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ देशी घी मधुर रतन का नमूना जांच हेतु लेना बताया है। नमूना लेने मे एफ.एस.एस. एक्ट व नियमों [illegible] शः पालना नही की गई है। देशी घी मधुर रतन खाद्य पदार्थ बताया है जो मानको [illegible] है। नमूना लेने मे निर्धारित प्रकिया का पालन नही हुआ है। पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री द्वारा [illegible] रिपोर्ट मे जांच अवधि मे किये परिणामों का कोई वर्णन नही है। इस अवधि मे किये गये परीक्षण का परिणाम पृथक–पृथक तिथियों का दर्ज नही है। जिस आधार पर देशी घी मधुर रतन को मिस ब्राण्ड बताया [illegible] है उसका कोई आधार जांच रिपोर्ट मे दर्ज नही है। उक्त घी पेक्ड प्रतिपक्षी क्रम 5 से लेकर विक्रय किया है। यदि इसमे किसी प्रकार का मिसब्रान्ड पाया जाता है तो उसके लिए प्रतिपक्षी क्रम 5 उत्तरदायी है। प्रतिपक्षी क्रम 1 ता 4 उक्त घी के खुदरा व्यापारी है तथा उक्त घी के अधिकृत विक्रेता है एवं प्रतिपक्षी क्रम 5 उक्त घी के उत्पादक है। प्रतिपक्षी क्रम 1 ता 4 द्वारा उक्त घी को ना तो पेक किया है ना किसी तरह की मिलावट की गई है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत परिवाद निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:20:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि नियमानुसार सेम्पल लिया गया है। जिस लेबोरेट्री से जांच करवाई गई है, वह राज्य सरकार एवं एफएसएसएआई, दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। खाद्य पदार्थ की लेबलिंग पर **Date of Mgf./Pkg. 02 DEC 2022** अंकित है एवं **Expiry/ Use by Date Not Given** जिससे समय की निश्चितता नहीं है जबकि **Expiary Date & Use by** अंकित होने से समय की निश्चितता होती है। प्रकरण मे अभियोजन स्वीकृति नियमानुसार प्राप्त की गई है। अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 159/PHL/kota/Act/2023/159 दिनांक 27.02.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **देशी घी (मधुर रतन) मूल गत्ते पैक** 500 ग्राम निर्दिष्ट खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 159/PHL/kota/Act /2023/159 दिनांक 27.02.2023 से धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 05 को कुल जुर्माना राशि 1,00,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 05 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। अप्रार्थी क्रम 05 इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपी उनको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक **23.08.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:20:53 IST
Reason: SelfAttested